



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052021-227262
CG-DL-E-31052021-227262

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1925]
No. 1925]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2021/ज्येष्ठ 10, 1943
NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2021/JYAISHTHA 10, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2021

सं. 06/2015-2020

विषय : राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा रेड सैंडर्स वुड क निर्यात के समय को बढ़ाने के संबंध में।

का.आ. 2070(अ).—विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 1.02 और 2.01 के अनुसार, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचना सं. 6/2015-2020 दिनांक 06.05.2015, अधिसूचना सं. 24/2015-2020 दिनांक 29.08.2016, अधिसूचना सं. 25/2015-2020 दिनांक 02.09.2016, अधिसूचना सं. 08/2015-20 दिनांक 23.05.2017, अधिसूचना सं. 40/2015-20 दिनांक 27.11.2017, अधिसूचना सं. 48/2015-20 दिनांक 03.01.2019 अधिसूचना सं. 12/2015-20 दिनांक 29.07.2019 और अधिसूचना सं. 56/2015-2020 दिनांक 30.03.2020 के साथ पठित अधिसूचना सं. 47 (आर ई-2013)/2009-2014 दिनांक 24.10.2013 में संशोधन करती है:

2. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) सैंडर्स वुड के निर्यात के लिए अपनी प्राधिकृत इकाईयों को मात्राओं के आंबटन सहित तौर-तरीकों को अंतिम रूप प्रदान करेगा और निर्यात की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिकतम **31 दिसंबर, 2021** तक पूरा करेगी।

3. अधिसूचना सं. 6/2015-2020 दिनांक 06.05.2015, अधिसूचना सं. 24/2015-2020 दिनांक 29.08.2016, अधिसूचना सं. 25/2015-2020 दिनांक 02.09.2016, अधिसूचना सं. 08/2015-20 दिनांक 23.05.2017, अधिसूचना सं. 40/2015-20 दिनांक 27.11.2017, अधिसूचना सं. 48/2015-20 दिनांक 03.01.2019 अधिसूचना सं. 12/2015-20 दिनांक 29.07.2019 और अधिसूचना सं. 56/2015-2020 दिनांक 30.03.2020 के साथ पठित अधिसूचना सं. 47 (आर ई-2013)/2009-2014 दिनांक 24.10.2013 के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

4. इस अधिसूचना का प्रभाव:

राजस्व आसूचना निदेशालय को रेड सैंडर्स वुड की आंबटित मात्राओं के निर्यात की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिनांक 31.12.2021 तक के समय की अनुमति प्रदान की गई है।

[फा. सं. 01/91/180/1380/एएम-12/निर्यात प्रकोष्ठ/20805]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2021

No. 06/2015-2020

Subject : Export of Red Sanders wood by Directorate of Revenue Intelligence - Extension of time regarding.

S.O. 2070(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and in terms of Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Central Government hereby makes amendments in Notification No. 47 (RE-2013)/2009-2014 dated 24.10.2013 read with Notification No.6/2015-2020 dated 06.05.2015, Notification No. 24/2015-2020 dated 29.08.2016, Notification No. 25/2015-2020 dated 02.09.2016, Notification No. 08/2015-2020 dated 23.05.2017, Notification No.40/2015-2020 dated 27.11.2017, Notification No. 48/2015-2020 dated 03.01.2019, Notification No.12/2015-2020 dated 29.07.2019 and Notification No. 56/2015-2020 dated 30.03.2020:

2. Directorate of Revenue Intelligence (DRI) shall finalize the modalities, including allocation of quantities to their authorized entities for export of the Red Sanders wood and shall complete the whole process of export latest by **31st December, 2021**.

3. Other provisions of Notification No.47 (RE-2013)/2009-2014 dated 24.10.2013 read with Notification No.6/2015-2020 dated 06.05.2015, Notification No.24/2015-2020 dated 29.08.2016, Notification No. 25/2015-2020 dated 02.09.2016, Notification No.08/2015-2020 dated 23.05.2017, Notification No.40/2015-2020 dated 27.11.2017, Notification No.48/2015-2020 dated 03.01.2019, Notification No.12/2015-2020 dated 29.07.2019 and Notification No.56/2015-2020 dated 30.03.2020 shall remain unchanged.

4. Effect of this notification:

Directorate of Revenue Intelligence has been allowed time upto 31.12.2021 to complete the process of export of allocated quantities of Red Sanders wood.

[F. No. 01/91/180/1380/AM-12/EC/20805]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.